

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।


GST व्यवस्था का क्रियान्वयन प्रदेश में दिनांक 01-07-2017 से प्रस्तावित है। इस GST व्यवस्था में Registration Return, Payment के अतिरिक्त अन्य सभी Backend Module का निर्माण GSTN द्वारा किया जायेगा। प्रदेश के अधिकारियों को पंजीकृत व्यापारियों से सम्बंधित सूचना प्राप्त करने के लिये GSTN द्वारा सभी कार्यालयों के अधिकारियों को उनके Role के आधार पर User ID तथा Password उपलब्ध कराये जायेंगे। GST व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के विभाग (Central Board for Excise and Customs) तथा सभी राज्यों के वाणिज्य कर विभागों के कार्यालय अधिक्षेत्र के मध्य Mapping किया जाना अनिवार्य है। GSTN द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त Mapping के लिये समस्त कार्यालयों के Pincode की सूचना आवश्यक है।

2- उक्त के सन्दर्भ में कार्यालय पत्रांक 1470 दिनांक 31.03.2017 द्वारा विभाग के समस्त कार्यालयों की Excel file समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर तथा ज्वाइंट कमिश्नर की e-mail पर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया था कि अपने जोन से सम्बंधित कार्यालयों के Pincode को कार्यालय के सम्मुख अंकित कर समेकित Excel file मुख्यालय को दिनांक 04-04-2017 तक प्रत्येक दशा में ctithqju-up@nic.in पर e-mail के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इस सम्बंध में कतिपय जोन- नोएडा, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, इटावा जोन से केवल औरैया, गाजियाबाद प्रथम व द्वितीय, झांसी, कानपुर, वाराणसी प्रथम, सहारनपुर (सूची निर्धारित प्रारूप में नहीं है) द्वारा Excel file e-mail के माध्यम से तथा लखनऊ जोन प्रथम व द्वितीय, मुरादाबाद, बरेली द्वारा पत्र के माध्यम से सूची प्रेषित की गयी है जबकि Excel file e-mail के माध्यम से प्रेषित की जानी थी। जिन जोन द्वारा उक्त सूचना प्रेषित की गयी है वे यह सुनिश्चित कर लें कि करनिर्धारण कार्यालय अधिक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त Pincode कार्यालय के सम्मुख सूची में अंकित किये गये हैं।

3- उक्त प्रकरण में मुख्यालय द्वारा निर्गत किये गये पत्र पर समुचित कार्यवाही न करते हुए मुख्यालय को सूचना समयान्तर्गत उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इटावा, फैजाबाद, गोरखपुर, मेरठ, वाराणसी द्वितीय जोन से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी है यह स्थिति नितान्त खेदजनक है एवं अधिकारियों की उदासीनता व अकर्मण्यता का भी परिचायक है। विभाग के समस्त कार्यालयों की Excel file समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर तथा ज्वाइंट कमिश्नर की e-mail पर दिनांक 31.03.2017 को प्रेषित की गयी थी जिसे पुनः प्रेषित किया जा रहा है तथा निर्देशित किया जाता है कि अपने जोन से सम्बंधित करनिर्धारण कार्यालयों के अधिक्षेत्र के समस्त Pincode को कार्यालय के सम्मुख अंकित कर समेकित Excel file मुख्यालय को दिनांक 28.04.2017 तक प्रत्येक दशा में ctithqju-up@nic.in पर e-mail के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें जिससे GSTN को डाटा समयान्तर्गत प्रेषित किया जा सके।

जिन अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.04.2017 तक उक्त कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है उनके विरुद्ध आदेशों की अवहेलना हेतु नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।


(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिश्नर(जी0एस0टी0/आई0टी0)
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।